

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- राजीव बडगूजर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
73 / 2023

दायर दिनांक  
18.07.2023

निर्णय दिनांक  
16.07.2024

## अनवान

1. कल्याणसिंह पिता सोहनसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी रायपुरिया खुर्द तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
2. दुर्गाकंवर पत्नी सोहनसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी रायपुरिया खुर्द तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
3. न्यालकंवर पुत्री सोहनसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी रायपुरिया खुर्द तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
4. प्रतापसिंह पिता गुलाबसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी रायपुरिया खुर्द तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
5. भीमसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी रायपुरिया खुर्द तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
6. महेन्द्रसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी रायपुरिया खुर्द तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
7. मोहनसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी रायपुरिया खुर्द तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
8. विजयसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी रायपुरिया खुर्द तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।

## प्रार्थीगण

### बनाम

1. भैरूसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी रायपुरिया खुर्द तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
2. कालुसिंह पिता हमेरसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी रायपुरिया खुर्द तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
3. निर्भयसिंह पिता हमेरसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी रायपुरिया खुर्द तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
4. कमलाकंवर पत्नी हमेरसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी रायपुरिया खुर्द तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।

## अप्रार्थीगण

प्रार्थीगण  
अप्रार्थीगण

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री रामलाल राव  
अधिवक्ता श्री हिम्मत सिंह जादव

--: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम

--: निर्णय ::-



संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा

मुंगाना पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 461 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 90 रकबा 1.00 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काशत की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मत सिंह जादव का अधिकार पत्र प्रस्तुत। जवाब पेश नहीं किये जाने से जवाब बन्द किया जाता है। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काशतकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काशतकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को पत्थरगढी कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा मुंगाना पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 461 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 90 रकबा 1.00 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर पत्थरगढी किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 16.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजीव बडगूजर)  
उपखण्ड अधिकारी  
कपासन